सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 125 राँची, सोमवार

11 फाल्गुन, 1936 (श०)

2 मार्च, 2015 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

27 फरवरी, 2015

कृपया पढ़े:-

1. उपायुक्त, लोहरदगा का पत्रांक-1292/गो0, दिनांक 18 अक्टूबर, 2004
2. ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-8308/ग्रा0वि0, दिनांक 19 सितम्बर, 2006
3. कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का संकल्प सं0-1670, दिनांक 28 मार्च, 2011 एवं संकल्प सं0-1911, दिनांक 25 फरवरी, 2012
4. कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-826, दिनांक 27 जनवरी, 2014 एवं पत्रांक-8083, दिनांक 12 अगस्त, 2014
5. श्री अशोक कुमार सिन्हा, से0नि0 भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड का पत्रांक-435, दिनांक 31 अक्टूबर, 2013

संख्या-5/आरोप-1-328/2014 का0 1923 -- श्री जयदीप तिग्गा, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-861/03, गृह जिला- गुमला), के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, भंडरा, लोहरदगा के कार्यावधि से संबंधित उपायुक्त, लोहरदगा के पत्रांक-1292/गो0, दिनांक 18 अक्टूबर, 2004 द्वारा सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड को प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है। ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-8308/ग्रा0वि0, दिनांक 19 सितम्बर, 2006 द्वारा श्री तिग्गा के विरूद्ध आरोप प्रपत्र- 'क', साक्ष्य तालिका एवं श्री तिग्गा से प्राप्त स्पष्टीकरण की प्रति विभाग को उपलब्ध करायी गयी है। आरोप प्रपत्र- 'क' में श्री तिग्गा के विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं:-

1. मुरली तालाब से पतराटोली भाया बिरपी तक 3 कि0मी0 ग्रेड-1 पथ निर्माण योजना की प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्राक्कलित राशि मो0- 9,912/- (नौ लाख एकानबे हजार दो सौ) रू० की दी गयी थी, जिसका संशोधन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय, लोहरदग्गा के पत्रांक-1715/अभि0 दिनांक 05 दिसम्बर, 2003 एवं पत्रांक- 350/अभि0 दिनांक 27 मार्च, 2004 के माध्यम से मो0- 6,585/- (छः लाख अठावन हजार पाँच सौ) रू० कर दिये जाने की सूचना दी गयी थी परन्तु श्री तिग्गा द्वारा संशोधित प्राक्कालन की अनदेखी कर योजना के कार्यान्वयन में मो0- 2,379/- (दो लाख सैंतीस हजार नौ सौ) रू० नगद का अधिक भुगतान कर दिया गया, जो वित्तीय अनियमितता का द्योतक है ।

2. उक्त योजना के कार्यान्वयन के निमित्त लगाये गये मजदूरो के मास्टर रौल में उनका कार्यावधि अंकित नहीं है और न ही किसी पर्यवेक्षक के द्वारा भुगतान की सत्यता के निमित्त हस्ताक्षर ही किया गया है, जो मस्टर रौल की सत्यता पर संदेह उत्पन्न करता है और योजना के कार्यान्वयन के निर्देश के विपरीत है ।

3. श्री तिग्गा द्वारा सरकारी निदेशों की अवहेलना कर योजना के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध करायी गयी राशि मो0- 4,75,000/- (चार लाख पचहत्तर हजार) रूपया व्यय किया गया। फलतः आरोपी पदा0 द्वारा अनियमित रूप से राशि का विचलन किया गया ।

4. श्री तिग्गा से योजना के कार्यान्वयन में पाई गयी अनियमितता के संदर्भ में स्पष्टीकरण की माँग की गयी, परन्तु उनके द्वारा उत्तर नहीं दिया गया । यह उच्चाधिकारियों के निदेशों की अवहेलना करने का परिचायक है ।

5. श्री तिग्गा द्वारा योजना के गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया, यथा - फलैंक में मिट्टी एवं मोरम का कार्य प्राक्कलन के अनुरूप नहीं किया गया, सही तरीके से संपीड़न नहीं किया गया, बगैर संपीड़न के ग्रेड-1 मेटल बिछाया गया, मेटल ग्रेड-4 इंच मोटाई के स्थान पर 23 इंच से 3 इंच मोटाई का ही बिछाया गया एवं विभिन्न स्थानों पर बगैर संपीड़न के ही ग्रेड-1 के ऊपर मोरम बिछाया गया । यह योजना के कार्यान्वयन की विशिष्टयों की अनदेखी करना है ।

6. उप विकास आयुक्त, लोहरदग्गा एवं कार्यपालक अभियंता, एन0 आर0 ई0 पी0, लोहरदग्गा द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में श्री तिग्गा का ध्यान आकृष्ट कराया गया, परन्तु उनके द्वारा इन विशिष्टयों का अनुपालन नहीं किया गया। यह श्री तिग्गा का कार्यों के प्रति लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता को दर्शाता है ।

7. उप विकास आयुक्त, लोहरदग्गा द्वारा बेदाल डांडी में सिंचाई तालाब निर्माण हेतु अपने ज्ञापांक- 245/अभि0 दिनांक 24 फरवरी, 2004 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृत दी गयी थी। परन्तु आरोपी पदा0 द्वारा तालाब निर्माण के स्थान पर पोखरीनुमा डांडी में तालाब खुदवाने हेतु कार्यादेश निर्गत किया गया। यही नहीं पोखरीनुमा डांडी में बिना तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किये हुए ही पक्की सीढ़ियों का निर्माण करवाया गया। फलस्वरूप कनीय अभियंता द्वारा पक्के कार्य की गलत मापी की गयी एवं गलत मापी के कारण 16,992/- रूपये भुगतान किया गया, जो गंभीर वित्तीय अनियमितता है ।

8. श्री साहेब दयाल राय प्रसुन, तत्कालीन कनीय अभियंता के द्वारा दिनांक 05 जून, 2004 को आरोपी पदा0 को पत्र लिखकर सूचित किया गया कि अभिकर्ता द्वारा नया तालाब का निर्माण न कर डाड़ी में ही पम्प अग्रिम का समायोजन करने के उद्देश्य से घाट का निर्माण किया गया है तथा अभिकत्र्ता के दबाव में विपत्र बनाया गया है, इसलिए आरोपी पदा0 एवं सहायक अभियंता स्वयं जाँच कर ही आगे की कार्रवाई करेंगे। परन्तु आरोपी पदा0 तथा सहायक अभियंता द्वारा स्थल की जाँच नहीं की गयी तथा मापी को ही आधार मानकर भुगतान कर दिया गया । यह आरोपी पदा0 की उदासीनता एवं लापरवाही का प्रतीक है ।

9. आरोपी पदा0 द्वारा वित्तीय नियमों की अवहेलना कर एकमुस्त 30,000/-(तीस हजार) रू0 का अग्रिम भुगतान किया गया, जबकि सामान्य परिस्थितियों में कम से कम 7,500/- (सात हजार पाँच सौ) रूपये एवं अधिकतम 15,000/- (पन्द्रह हजार) रू० ही अग्रिम देने का प्रावधान है। अधिक अग्रिम देने के बाद जब मिट्टी कार्य से अग्रिम का समायोजन न होते देख अभिकर्ता द्वारा पक्की सिढ़ी का निर्माण कराया गया, ताकि अग्रिम का समायोजन हो सके जबकि प्राक्कलन में पक्की सिढ़ी का कोई प्रावधान नहीं था। इस प्रकार प्राक्कलन को दरकिनार कर पक्की सिढ़ी का निर्माण एवं गलत मापी अंकित कर अग्रिम समायोजन करना गंभीर वित्तीय अनियमितता का मामला बनता है। प्राक्कलन के प्रावधानों के अनुसार अभिकर्ता को नियमानुसार रू०- 12,690/- (बारह हजार छः सौ नब्बे) रूपये मात्र ही भुगतान देय था, जबकि आरोपी पदा0 द्वारा अभिकर्ता को कुल - 30,375/- (तीन हजार तीन सौ पचहत्तर) रूपये का अग्रिम भुगतान कर दिया गया। इस वित्तीय अनियमितता के लिए श्री तिग्गा दोषी है ।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय संकल्प सं0-1670, दिनांक 28 मार्च, 2011 द्वारा श्री तिग्गा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री हरिनारायण राम, झा0प्र0से0, तत्कालीन संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। पुनः विभागीय संकल्प सं0-1911, दिनांक 25 फरवरी, 2012 द्वारा श्री राम के स्थान पर श्री अशोक कुमार सिन्हा, से0नि0 भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

श्री सिन्हा के पत्रांक-435, दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री तिग्गा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। समीक्षोपरान्त, प्रमाणित आरोपों हेतु श्री तिग्गा के विरूद्ध दो वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक लगाने का दण्ड निर्धारित किया गया, जिसके लिए विभागीय पत्रांक-826, दिनांक

27 जनवरी, 2014 एवं अनुवर्ती स्मार पत्रांक-8083, दिनांक 12 अगस्त, 2014 द्वारा श्री तिग्गा से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी ।

श्री तिग्गा के पत्र, दिनांक 17 सितम्बर, 2014 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया । श्री तिग्गा ने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में ऐसा कोई नया तथ्य नहीं दिया गया है, जिन पर संचालन पदाधिकारी ने समीक्षा/जाँच-पड़ताल नहीं की हो । श्री तिग्गा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त, श्री तिग्गा के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में उनसे प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर को अस्वीकृत करते हुए **असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-49 के तहत् 'दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक' का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रमोद कुमार तिवारी,

सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 125--50 ।